झालावाड़

5/2/26

लोक अभियोजक द्वारा ही अभियुक्त पक्ष अपराध
हत्याके करने वाले कोई और व्यक्ति के लिए
स्वीकार की गई अभियुक्त को आरोप विरचित
माना है कि प्रस्तुत के 50,000/- 50,000/- में
समान मुआवजे देय होंगे समान मुआवजे
आरोपित नहीं किये गये हैं कहना
कैसे सुने गई कि अधूरे रहेंगे
माह अब बहस के प्रतिवाद लेने
दिनांक 17-2-26 को पेश करें

सेशन न्यायाधीश
झालावाड़ 326001